

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2
प्रपत्र संख्या-43 ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 418 देखिए)
धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम
2. पता

3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)
5. चालान की सकल राशि
6. चालान की निबल राशि
7. लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा शीर्षक की मुहर
8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड
मुख्य लेखा शीर्षक उप मुख्य-शीर्षक लघु शीर्षक

0043

00

102

0	0

0	0

300

धनराशि (शब्दों में) सात हजार रुपये मात्र ।।

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले महायक निवासी विद्युत सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित उत्तर प्रदेश शासन

योग


300

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

चालान संख्या

CN No 003

दिनांक



प्राप्त किया
 प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर कोषागार/बैंक की मुहर सहित